प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।

सेवा में,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़
देहरादून।

पत्रांकः प्रा0शि0/2062/वा0स्था0/2024–25 दिनांक 15 जुलाई 2024

विषयः वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024–25 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षको के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के प्रख्यापन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्याः 1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के द्वारा विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, उक्त के क्रम में जनपद हरिद्वार में जनपदान्तर्गत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के पात्र शिक्षकों की काउंसलिंग कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), हरिद्वार में आयोजित की जानी है।

अतः उक्त के क्रम में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार श्रेणीवार पात्रता सूची तथा आर0टी0ई0 मानकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष भण्डारी) 15/07/24
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।